कालाराम आदि – भोजाराम आदि प्र.सं. 62/23

क्र	आज्ञा पत्र	
..25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट को सुना गया। वकील रेस्पो. ने बहस हेतु समय चाहा। वकील अपीलांट ने ऐतराज किया। न्यायहित में अन्तिम समय दिया गया। नियत दिनांक को बहस नहीं करने पर अन्तिम निर्णय कर दी जावेगी। बहस वकील रेस्पो. दिनांक 2.7.25 को पेश हो।	
2.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील रेस्पो. ने लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा। अतः लिखित बहस पेश होने दिनांक 4.7.25 को पेश हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (मोहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर)	
4.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. रेस्पो. ने लिखित बहस पेश की। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 8.7.25 को पेश हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
8/7/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...स्वीकार...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 63 / 2023

1 लालाराम पुत्र स्व. टीकू उर्फ टीकूराम उम्र 85 साल
2 जोरा देवी पत्नी स्व. ठाकर सिंह उम्र 70 साल
समस्त जाति जाटान निवासीगण ग्राम मैणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गणेशाराम पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
2 हल्का पटवारी दांतरू तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
3 तहसीलदार फतेहपुर भू–धारक राज. सरकार के प्रतिनिधि
4 लक्ष्मण
5 मोहनलाल
6 प्रहलाद उर्फ राकेश पुत्रगण स्व. मोहरी देवी स्व. बक्साराम जाति जाट निवासीगण अलखपुरा गोदारान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 जड़ी देवी
8 सन्तरा देवी पुत्रियां स्व. मोहरी देवी पत्नी स्व. बक्साराम समस्त जाति जाट निवासिनी अलखपुरा गोदारान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 उप पंजीयक फतेहपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2023
बउनवानी दावा लालाराम आदि बनाम गणेशाराम आदि
दावा संख्या 59 / 2022 अदालत उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर जिला सीकर अपील अ.धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 62/2023

1 लालाराम पुत्र स्व. टीकू उर्फ टीकूराम उम्र 85 साल
2 जोरा देवी पत्नी स्व. ठाकर सिंह उम्र 70 साल
समस्त जाति जाटान निवासीगण ग्राम मैणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गणेशाराम पुत्र श्री रामकुमार
2 भंवरलाल पुत्र जवाहराराम
3 सुखबीर पुत्र हुणताराम समस्त जाति जाट निवासी चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
4 हल्का पटवारी दांतरू तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
5 तहसीलदार फतेहपुर भू–धारक राज. सरकार के प्रतिनिधि
6 लक्ष्मण
7 मोहनलाल
8 प्रहलाद उर्फ राकेश पुत्रगण स्व. मोहरी देवी स्व. बक्साराम जाति जाट निवासीगण अलखपुरा गोदारान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
9 जड़ी देवी
10 सन्तरा देवी पुत्रियां स्व. मोहरी देवी पत्नी स्व. बक्साराम समस्त जाति जाट निवासिनी अलखपुरा गोदारान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2023
अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)
बउनवानी दावा गणेशाराम बनाम भंवरलाल आदि
दावा संख्या 51/2021 अपील अ.धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवंत सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री मुकेश कुमार कस्वां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2022 व 51/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट गणेशाराम ने वाद संख्या 51/2021 प्रस्तुत कर ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर भूमि गत खसरा नम्बर 337 हाल खसरा नम्बर 448 का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा। इसी प्रकार वादीगण अपीलान्ट लालाराम की ओर से विचारण न्यायालय में वाद संख्या 59/2022 इसी भूमि कें सदर्भ में प्रस्तुत कर वादीगण को 1/3, 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित कर विचाराधीन निर्णय से वाद संख्या 59/2022 को खारिज कर दिया एवं वाद संख्या 51/2021 को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर लालाराम आदि की ओर अपील संख्या 62/2023 धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई एवं दावा संख्या 59/2022 के विरूद्ध अपील संख्या 63/2023 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 337 हाल नया खसरा नम्बर 448 रकबा 2.57 हैक्टेयर अवस्थित हैं जिसकी खातेदारी ठिकाना के समय से निरन्तर अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 के पूर्वज टीकू उर्फ टीकूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति जाट निवासी मैणासर, तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज. के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही है। जो अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 संयुक्त रूप से अपने पूर्व के स्वर्गवास के बाद राजस्व अभिलेख में अपने नाम इन्द्राज करवाने का ध्यान नहीं दिया। परन्तु खातेदार टीकूराम के स्वर्गवास के बाद अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 का कब्जा काश्त निरन्तर रूप में चला आ रहा है विरासत के आधार पर अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वज बिरमा व जवाहरा की सम्वत 2014 में काश्त दर्ज होने पर की अनुसूचित स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर काल्पनिक कहानी बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में दावा संख्या 51/2021 प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार टीकू उर्फ टीकूराम के वारिसान अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 8 को पक्षकार नहीं बनाये गये जो दावा में आवश्यक व हितबद्ध है। दावा संख्या 59/2022 विचारण न्यायालय में दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तुत किया है जिस दर्ज कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2022 तामील हेतु तारीख पेशी नियत है व आगामी तारीख पेशियां दिनांक 09.09.2022, 12.10.2022, 20.11.2022, 06.01.2023, 20.01.2023, 22.02.2023, 15.03.2023 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/भ्रमण पर हैं, इसलिए तारीख पेशियां मुल्तवी की जाती रही है आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.03.2023 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5, 6 व 8 की तामील होने पर वकालतनामा वकील द्वारा पेश किया गया व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की तामील होने पर इकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया व प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.04.2023 को नियत की गई है तारीख पेशी दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत दावा संख्या 59/2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 51/2021 के साथ उनके अधिवक्ता के मौखिक कथनानुसार समायोजित कर करने का आदेश दिया जाकर दोनो दावों का एकसाथ बिना अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दावा की प्रोसीजरल प्रक्रिया आदेश 07 जा.दी. से लेकर आदेश 20 जा.दी. के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रकिया को अपनाये बिना ही व अपीलकर्ता को अपना प्रतिरक्षा के अधिकारानुसार अपना बचाव पक्ष रखे बिना ही इकतरफा में दावा संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

51/2021 के साथ समाहित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में डिक्री व निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित करने का निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाही गई है जिसे जा.दी. के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना ही दावा संख्या 51/2021 के साथ समायोजित करने का आदेश पारित करने के बाद अपीलकर्तागण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने, अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही दावा संख्या 51/2021 में प्रतिवादी तहसीलदार से अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से दावा में पक्षकारों के लिखित आवेदन के बिना ही तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिनांक 20.02.2023 को दिया गया है जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी तहसीलदार ने प्रतिवादी पटवारी हल्का से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साजकर बिना किसी आधार के तैयार करवाई है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत है तथ्यात्मक रिपोर्ट गलत अवैध व शुन्य दस्तावेज है जिसको आधार मानकर दावा संख्या 51/2021 के साथ अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 59/2022 में अपीलकर्तागण द्वारा चाही गई सहायताओं को बिना किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत लिये अस्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निर्णय व डिक्री पारित कर खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय ने दावा संख्या 51/2021 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादी तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट को दावा संख्या 59/2022 के दावा में आधार मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। अपील अपीलकर्तागण स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2023 बउनवानी दावा लालाराम बनाम गणेशाराम आदि दावा संख्या 59/2022 के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे जो निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2023 दावा संख्या 51/2021 में पारित निर्णय व डिक्री बउनवानी गणेशाराम बनाम भंवरलाल आदि में पारित निर्णय व डिक्री में अपीलकर्तागण के दावा की सहायता को अस्वीकारकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री के साथ पारित की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2021(1) रेव पेज 140, आरआरडी 1991 पेज 377, आरआरडी 1991 पेज 381, आरआरडी 2000 पेज 95, आरआरडी 1990 पेज 277,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

629, आरबीजे 2022 पेज 29, आरआरडी 2004 पेज 4 के न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गणेशराम के कब्जे, काश्त, हक अधिकार स्वामित्व की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 2.57 हैक्टेयर वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमि गणेशराम के दादा बिरमाराम के एकांतिक कब्जा, काश्त हक अधिकार की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से चली आ रही थी उक्त आराजी के एकमात्र स्वामी होकर काबिज, खातेदार स्व बिरमाराम ही थे, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता व दादा स्व बिरमाराम की वृद्धावस्था के दौरान सेवा बंदगी की जिससे प्रसन्न होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा बिरमाराम ने उक्त आराजियात अकेले गणेशराम को ही सुपुर्द कर दी थी और अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों व ग्रामवासियों के समक्ष घोषणा कर दी थी उक्त आराजी पर अकेले गणेशराम का ही कब्जा, काश्त, हक अधिकार एवं स्वामित्व रहेगा उसके अन्य परिवारजनों का कोई संबंध सरोकार नहीं रहेगा और स्व. बिरमाराम के द्वारा की गयी उद्घोषणा पर परिवारजनों ने कोई आपत्ति नहीं की गयी जिस स्व बिरमाराम के जीवनकाल से लेकर आज तक निरंतर निर्बाध रूप से अकेला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गणेशराम ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परंतु सहवन से व राजकीय की कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि की जमाबंदी मे गलत रूप से टिकू पुत्र धन्ना जाति जाट नाम के व्यक्ति का खाता दर्ज हो गया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम चाचीवाद में कभी नहीं रहा, न ही आज दिवस को इस नाम के व्यक्ति का कोई वारिस ग्राम चाचीवाद में है। उक्त आराजियात की खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 तक खातेदार, काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दादा बिरमा पुत्र भैरू का नाम अंकित है तथा उक्त आराजियात की जमाबंदी संवत 2011 से लेकर 2011 में बतौर काश्तकार के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा बिरमा पुत्र भैरू का नाम अंकित है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा बिरमा पुत्र भैरू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते थे उक्त कृषि भूमि पर कभी भी टिकू पुत्र धन्ना नाम का व्यक्ति कभी काबिज, काश्त नहीं रहा, राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पश्चात पहली जमाबंदी संवत 2011 से 2014 तैयार की गयी तो उक्त खातेदारी में टिकू को गैर आबाद अंकित कर दिया तथा आराजी पर बिरमा वल्द भैरू जाति जाट को काबिज बताया गया तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त कृषि भूमि का को कभी भी खातेदार नहीं माना गया, न ही उक्त भूमि पर टिकू पुत्र धन्ना कब्जा, काश्त रहा जबकि उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से लेकर सतत रूप से आज दिवस तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दादा बिरमा तत्पश्चात वादी लगातार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परन्तु उक्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की भूल से जो खाता टिकू पुत्र धन्ना के नाम रहा वह कतई गलत था जिसको विचारण न्यायालय द्वारा दुरूस्त फरमाया गया है वह सही है क्योंकि विचारण न्यायालय ने समस्त विधि सम्मत तथ्यों की जांच पड़ताल करने के पश्चात ही टीकू पुत्र धन्ना का नाम हजब किया है जो कि सही एवं न्यायोचित है। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13.03.2023 को मांगी गयी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार फतेहुपर द्वारा प्रस्तुत की गयी और कथन किया गया कि ग्राम चाचीवाद बड़ा के खसरा नम्बर 448 रकबा 2.57 हैक्टेयर (गत खसरा नम्बर 337 रकबा 2.57 हैक्टेयर) जिसकी खातेदारी टिकू पुत्र धन्ना जाति जाट के नाम से दर्ज है जिसके मौका व रिकार्ड की जांच करने पर आराजी खसरा नम्बर 448 के पड़ौसी खातेदारान एवं ग्राम में इस संबंध में जांच करते समय उपस्थित जनों ने बताया कि हमारी यादास्त, जानकारी एवं संज्ञान में उक्त भूमि पर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही स्वतंत्र, एकांकी कब्जा, काश्त है किसी अन्य की कोई दखलअंदाजी नहीं है तथा उपस्थित लोगों ने यह भी जानकारी दी कि उक्त आराजी के पूर्व में गणेशराम के पिता रामकुमार व दादा बिरमाराम लगातार काबिज होकर काश्त करते रहे है एवं स्व. रामकुमार एवं बिरमाराम के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथ ग्रामीणजनों से पता चला कि लगभग 70–80 वर्षों से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व दादा का रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा बिरमाराम के अन्य पोतों का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज टिकू के संबंध में जानकारी एवं पूछताछ करने पर उपस्थित ग्रामजनों मौतविरानों ने बताया कि उनकी जानकारी, यादास्त एवं ज्ञानानुसार गत 70–80 वर्षों में इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ग्राम (चाचीवाद बड़ा) टिकू पुत्र धन्ना जाट नाम का कोई व्यक्ति आबाद नहीं रहा है, न ही उनका कोई वारिस रहा है। जमाबंदी ग्राम चाचीवाद बड़ा संवत 2011–14 के खाता नम्बर 25 के कॉलम संख्या के अनुसार खातेदारी टिकू पुत्र धन्ना कौम जाट के नाम दर्ज है परन्तु उक्त जामबंदी के कॉलम संख्या 16 में दर्ज प्रवृष्टि के अनुसार टिकू खातेदार गैर आबाद हो गया है एवं आराजी पर बिरमा वल्द भैरू जाट काबिज है अंकन दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2014–2017 के खाता नम्बर 22 के कृषक विवरण के कॉलम संख्या 51 में टिकू पुत्र धन्ना कौम जाट दे हके साथ बिरमा पुत्र भैरू का नाम दर्ज है तथा संवत जमाबंदी संवत 2018 से 2021 के खाता संख्या 51 में दर्ज अनुसार कॉलम संख्या 5 में कृषक के विवरण में टिकू पुत्र धन्ना कौम जाट साकिन देह अंकित है तथा कॉलम संख्या 16 में टिकू खातेदार फौत हो गया है आराजी पर जवारा पुत्र बिरमा काबिज है तथ खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 के खसरा नम्बर 337 की प्रवृष्टि के कॉलम संख्या 6 के टिकू वल्द धन्ना के साथ बिरमा पुत्र भैरू का नाम दर्ज है विशेष कॉलम संख्या 16, कॉलम संख्या 24, कॉलम संख्या 32 में काश्त बिरमा वल्द भैरू का नाम अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 के अनुसार कॉलम संख्या 6 में कृषक विवरण के रूप में बिरमा वल्द भैरू का नाम दर्ज रिकार्ड है तथा कॉलम संख्या 16 में कब्जा, काश्त भी बिरमा का है, कॉलम संख्या 24 व 32 में बिरमा के पुत्र जवारा पुत्र बिरमा का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2019 में कृषक विवरण के कॉलम संख्या 6 में टिकू वल्द धन्ना जाट के साथ जवारा वल्द बिरमा जाट दर्ज होकर कॉलम संख्या 16 में कब्जा, काश्त जवारा बरस्तूर अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 के कृषक विवरण में टिकू पुत्र धन्ना अंकित है परन्तु संवत 2031, 2032, 2033 में काश्त मुताबिक कॉलम संख्या 16, 24 व 32 में जवारा पुत्र बिरमा बरस्तूर अंकित है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर बिरमा पुत्र भैरू जाति जाट तथा उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र, पौत्रों का ही कब्जा, काश्त पिछले 70–80 वर्षों से लगातार बे–रोक टोक चला आ रहा है। इसी भूमि से संबंधित एक अन्य राजस्व वाद संख्या 59/2022 'लालाराम बनाम गणेशराम आदि' विचाराधीन था जिसको समेकित किया गया, वाद में तथाकथित तथ्यों को दोहराया गया जो कि निराधार थे, विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने तहसीलदार फतेहपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की तथ्यात्मक रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड के अंकनानुसार गहनता से अध्ययन कर राजस्व नजीरों व रिकार्ड के अनुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर किसी भी रूप में दर्ज कृषक स्वतः खातेदार हो सकता है पृथक उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, आरएलडब्ल्यू 2006(1) आरजे 52 (एचसी) 2003(2), डब्ल्यूएलसी 519, आरएलडब्ल्यू 2008(11) आरजे 520 (एचसी) में व अन्य नजीरों को ध्यान में रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया है जो कि विधि सम्मत है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति अधिनियम लागू होने अथवा 15.10.1955 या सवंत 2012 में जो व्यक्ति अभिधारी है उसे खातेदारी अधिकार मिलेंगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वज बिरमा वल्द भैरू जाति जाट संवत 2012 में खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदी में कृषक के रूप में दर्ज है तथा कृषक होने की शर्ते पूर्ण की है इसलिए विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उक्त निर्णय पारित किया है अपीलान्ट ने बिना किसी वैध अधिकारों के उक्त निराधार रूप से जो अपील प्रस्तुत की है वह विधि अनुरूप नहीं होने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट गणेशाराम ने वाद संख्या 51/2021 प्रस्तुत कर ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर भूमि गत खसरा नम्बर 337 हाल खसरा नम्बर 448 का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा। इसी प्रकार वादीगण अपीलान्ट लालाराम की ओर से विचारण न्यायालय में वाद संख्या 59/2022 इसी भूमि कें सदर्भ में प्रस्तुत कर वादीगण को 1/3, 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित कर विचाराधीन निर्णय से वाद संख्या 59/2022 को खारिज कर दिया एवं वाद संख्या 51/2021 को डिक्री कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 337 हाल खसरा नम्बर 448 के संदर्भ में अपीलान्ट एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेन्ट द्वारा पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किया जाना एवं विचारण न्यायालय द्वारा दोनों वादों को समेकित किया जाकर विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है फलतः अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 62/2023 में प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 59/2022 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में पत्रावली दिनांक 12.08.2022 से दिनांक 05.04.2023 तक वास्ते तलबी एवं जवाब दावा नियत रही है। दिनांक 05.04.2023 की आदेशिका में विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 51/2021 के वादी के मौखिक कथन के आधार पर वाद संख्या 59/2022 को वाद संख्या 51/2021 के साथ समेकित करने के आदेश दिए है। विचारण न्यायालय ने इस संदर्भ में विधिक प्रकिया की पालना किये बिना वाद संख्या 59/2022 के वादी को सुने बिना यह आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 51/2021 दिनांक 24.09.2021 से दिनांक 20.02.2023 तक साक्ष्य वादी एवं जवाब आवेदन में नियत रहा है। दिनांक 20.02.2023 को विचारण न्यायालय ने बिना किसी आवेदन, बिना पक्षकारों को सुने तहसीलदार फतेहपुर को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कर पत्रावली वास्ते इतंजार मौका रिपोर्ट व जवाब आवेदन नियत की है। विचारण न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है एवं पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 दिनांक 05.04.2023 को नियत की गई है। दिनांक 05.04.2023 को विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित कर प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया है एवं इसी आदेश में अपीलांट का वाद संख्या 59/2022 खारिज कर वाद संख्या 51/2021 को डिक्री किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, विवाद्यक कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र पटवारी की मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वादी रेस्पोडेन्ट का वाद संख्या 51/2021 डिक्री कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पटवारी हल्का/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में एवं विचाराधीन निर्णय में वाद वादी डिक्री किये जाने का मौका रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनों वादों को समेकित कर वाद के प्रतिवादी का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर